उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग–4
संख्या–रा0क0–4–309/11–2020–300(5)/18
लखनऊ::दिनांक ३० मार्च, 2020

कार्यालय–ज्ञाप

वाणिज्य कर विभाग में जी0एस0टी0एन0 के पोर्टल पर ऑन लाइन रिफण्ड माड्यूल उपलब्ध हो जाने तक मैनुअल रिफण्ड की प्रकिया निर्धारण हेतु शासनादेश संख्या–क0नि0–4–219/11–2018–300(5)/2018, दिनाँक 23.02.2018, तथा शुद्धि पत्र संख्या–क0नि0–4–282/11–2018/300(5)/18 दिनाँक 21.03.2018 निर्गत किया गया है।

2– शासनादेश दिनांक 23.02.2018 के प्रस्तर–1 के उप प्रस्तर–(3) में मैनुअल रिफण्ड प्रणाली को दिनांक 30.06.2018 तक के लिए लागू किया गया था। शासनादेश दिनांक 15.10.2019 द्वारा इस प्रकिया को दिनांक 31.12.2019 तक लागू रखने का निर्णय लिया गया था, जिसे दिनांक–31.03.2020 तक बढ़ाये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि दिनांक–31.03.2020 के बाद इसे बढ़ाने की आवश्यकता न पड़े।

3– उक्त शासनादेश दिनाँक 23.02.2018 व शुद्धि पत्र दिनांक 21.03.2018 की शेष अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0प0संख्या–एफ0ए0–1–28/दस–2020, दिनाँक–27 मार्च, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

नीरजा कुरील
संयुक्त सचिव।

संख्या–रा0क0–4–309(1)/11–2020, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
2–कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।
3–समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0 द्वारा कमिश्नर, वाणिज्य कर।
4–एडी0 कमिश्नर (लेखा), वाणिज्य कर मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5–वित्त (लेखा) अनुभाग–1
6–गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(नीरजा कुरील)
संयुक्त सचिव।

Scanned with CamScanner